कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

डौरोली थाना खेडली में हुए खूनी संघर्ष में हत्या की महिला आरोपी गिरफ्तार

जयपुर 30 अप्रेल। पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि अपराधों की रोकथाम व अपराधियों को गिरफतार करने के लिए जिले के सभी थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये जाकर विशेष टीमों का गठन किया था। थाना खेडली ने 30 अप्रेल,2017 को श्री मूलसिंह राणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्री रामजीलाल चौधरी वृताधिकारी वृत लक्ष्मणगढ के निर्देशन में थानाधिकारी मय जाप्ता ने महिला आरोपी श्रीमति रामरती पत्नि हीरालाल जाति माली उम्र 60 साल निवासी डोरोली थाना खेडली को गिरफ्तार किया।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि 25 अप्रेल 2017 को थाना के गांव डौरोली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में 39 लोग घायल हुए जिनमें से 4 की मृत्यु मौके पर ही हो गई तथा 13 व्यक्ति गम्भीर रुप से घायल होने के कारण भरतपुर व जयपुर रैफर किये गये जिनमें से एक व्यक्ति की जयपुर ईलाज के दौरान मौत हो गई थी। उक्त घटना मे दोनों पक्षों की तरफ से हत्या के मामले दर्ज किये जा चुके है।

चोरी की मोटर साईकिल सहित आरोपी गिरफ्तार

थाना खैरथल ने 29 अप्रेल 2017 को वृताधिकारी वृत किशनगढबास श्री गिरधारी लाल वर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी मय जाप्ता ने मुखबीर सुचना मिली कि एक मोटर साइकिल नम्बरी RJ02–GS–6270 हीरो सीडी डिलैक्स रंग काला लाल पट्टी को अग्रेंज सिह रायसिख निवासी राताखुद जिसने शर्ट व लीला रंग का जिन्स पेन्ट पहने हुऐ जो पडीसल रोड से खैरथल चोरी की मोटर साईकिल बेचने के लिये आ रहा है जिस पर आरोपी अग्रेज सिह पुत्र जरनैलसिह जाति रायसिख उम्र 21 साल निवासी राताखुर्द थाना खैरथल जिला अलवर को गिरफ्तार किया जाकर चोरी की मोटरसाईकल को जप्त किया। पूछताछ पर आरोपी ने

बताया कि मै इस चोरी की मोटरसाईकल को खैरथल में किसी को बेचने आया हूॅ। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

राही/सन्तरा/349/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

प्रदेश में विभिन्न अपराधों में 576 गिरफ्तार

जयपुर, 30 अप्रेल। पुलिस द्वारा जिलों में विभिन्न गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों को पकडने का अभियान चला रखा है। जिसके अन्तर्गत पुलिस ने प्रदेश में गत सप्ताह विभिन्न अपराधों में 576 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हैं।

इस सम्बन्ध में राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा महिलाओं के साथ छेडछाड, शराब तस्करी एवं अवैध विक्रय में लिप्त, जुआ व सट्टे खेलने वाले एवं अवैध हथियार रखने वालों पर तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये थे।

पुलिस ने राज्य में महिलाओं के साथ छेडछाड करते पाये गये 3 व्यक्तियों, शराब तस्करी एवं अवैध विक्रय में लिप्त 126 व्यक्तियों, जुआ व सट्टे खेलने वाले 391 व्यक्तियों एवं अवैध हथियार रखने वाले 56 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार 576 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आगे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

राही/सन्तरा/348/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

ए.टी.एस., जयपुर ने मध्यप्रदेश के दो ईनामी अपराधी पकडे गये।

जयपुर 30 अप्रेल। ए.टी.एस. राजस्थान, जयपुर ने जयपुर में फरारी काट रहे मध्यप्रदेश के दो ईनामी अपराधियों भूपेन्द्र शर्मा पुत्र उदयचंद शर्मा एवं बाबूलाल जैमन पुत्र हर सहाय को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी श्री उमेश मिश्रा ने बताया कि एटीएस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के थाना घाटी गांव में नवंबर 2014 में 320 क्विंटल चीनी लदेट्रक को लूटने के मामले में वांछित दो ईनामी अपराधी जयपुर में फरारी काट रहे हैं। इस सूचना पर एटीएस जयपुर की टीम ने भूपेन्द्र शर्मा पुत्र उदयचंद शर्मा निवासी खेडली, जिला अलवर एवं बाबूलाल जैमन पुत्र हर सहाय निवासी ए–4, गलीनं 3, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर का जयपुर में क्रमशः बजाज नगर एवं मालवीय नगर क्षेत्र से पकडा। इसकी सूचना मध्यप्रदेश पुलिस को दी गई तथा एटीएस की सूचना पर थाना घाटी गांव मध्यप्रदेश के पुलिस उप निरीक्षक श्री जे के पठान टीम के साथ जयपुर पहुंच कर इन दोनों अपराधियों को अपने साथ ग्वालियर, मध्यप्रदेश ले गये हैं।

श्री उमेश मिश्रा ने बताया कि ये दोनो अपराधी थाना घाटीगांव, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश के मुकदमा एमपीडीपी के में वांछित अपराधी हैं। इन दोनों की गिरफतारी पर पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर ने मई 2015 में अपने आदेश संख्या 166/2015 द्वारा 5000–5000 रू काईनाम रखा हुआ है। इस मुकदमे में 7 अपराधी पूर्व में गिरफतार किये जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि उक्त भूपेन्द्र शर्मा पूर्व में फर्जी पेंशन डायरी प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफतार किया गया था, जहां से वह जमानत पर चल रहा है।

राही/सन्तरा/347/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।